Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 23-03-2005

Participants : Rawat Shri Bachi Singh

Title: Need to exclude wild pigs from the category of protected species in Uttaranchal.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश का हिमालयी क्षेत्र विशेाकर उत्तरांचल का पर्वतीय क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है । इस क्षेत्र में अधिकांश ग्राम जंगलों से लगे हुए हैं । इन ग्रामों के निवासी मुख्य रूप से अपने खेतों में पैदा होने वाली साग-सब्जी, फल-फूल व फसलों पर ही निर्भर रहते हैं तथा पशुपालन भी उनका एक प्रमुख व्यवसाय है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कारण जंगलों में निवास कर रहे जंगली जीव जन्तुओं की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । इसमें भी विशेा रूप से सुअर, घुरड़, काकड़, बाघ, भालू आदि की जनसंख्या सबसे अधिक बढे है ।

इस जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों में वन्य जीवों को आहार हेतु अत्यंत कमी हो जाने से पिछले कुछ समय से उनका रुख ग्रामीण बस्तियों की ओर हुआ है और ग्रामीणों के पालतू पशुओं को मार डालने के साथ-साथ मनुयों को भी समय-समय पर समाप्त करने की घटनाएं हुई हैं । इस हेतु वन विभाग द्वारा नाम मात्र की क्षतिपूर्ति दी जाती है ।

जन हानि के साथ-साथ अब पिछले कुछ समय से जंगली सुअरों आदि के झाड के झाड ग्रामीणों के खेत खलिहानों में रात्रि के समय पहुंच जाते हैं और खेतों में पैदा की जा रही साग-सब्जी, फल-फूल व फसलों को चट कर जाते हैं व खेतों को खोद कर बाकी की फसल को भी नट कर देते हैं ।

देश के मैदानी क्षेत्रों में फसल हानि को देखते हुए जंगली नील गाय को संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी से हटाया गया है । मेरा भी सरकार से आग्रह है कि वह उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में जंगली सुअरों के द्वारा फसल की हानि पर पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था करे और सुअरों को संरक्षित वन्य जीव की सूची से हटाया जाए ।